

कार्यालय आयुक्त, उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश
सतपुड़ा भवन, भोपाल-462004
// आदेश //

भोपाल, दिनांक 12 / 11 / 2020


क्रमांक: 980/207/आउशि/शा-5'अ'/2020 :: मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग के आदेश क्रमांक 949/2020/सीसी/2020/अडतीस, दिनांक 31.07.2020, क्रमांक 425/सीसी/2020/38, दिनांक 25.08.2020 एवं आयुक्त उच्च शिक्षा संचालनालय के पत्र क्रमांक 785/207/आउशि/शा. 5'अ'/2020 भोपाल, दिनांक 07.10.2020 एवं आयुक्त उच्च शिक्षा संचालनालय के पत्र क्रमांक 906/207/आउशि/शा.5'अ'/2020 भोपाल, दिनांक 28.10.2020 के तहत शासकीय/अनुदान प्राप्त अशासकीय/निजी अशासकीय महाविद्यालयों में स्नातक प्रथम वर्ष एवं स्नातकोत्तर प्रथम सेमेस्टर हेतु समय-सारणी जारी की गई थी।

सत्र 2020-21 में ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया के अन्तर्गत स्नातक/स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु दिनांक 16.11.2020 से 23.11.2020 तक सी.एल.सी. पंचम चरण हेतु निम्नानुसार समय-सारणी जारी की जाती है।

ऑनलाइन ई-प्रवेश समय-सारणी : सत्र : 2020-21
(epravesh.mponline.gov.in)

क्र.	कार्य का विवरण	स्नातक (प्रथम वर्ष)		स्नातकोत्तर (प्रथम सेमेस्टर)	
		दिनांक से	दिनांक तक	दिनांक से	दिनांक तक
सी.एल.सी. पंचम चरण					
1.	महाविद्यालयों में सीएलसी चतुर्थ चरण के पश्चात् (CLC पंचम चरण हेतु) रिक्त रहे गये स्थानों का महाविद्यालयवार/पाठ्यक्रमवार पोर्टल पर जानकारी प्रदर्शित करना।	16-11-2020		16-11-2020	
2.	(अ) अपंजीकृत आवेदकों हेतु ऑनलाइन पंजीयन।	16-11-2020	20-11-2020	16-11-2020	20-11-2020
	(ब) आवेदन पत्र एवं दस्तावेजों का सत्यापन किसी भी शासकीय महाविद्यालय के हेल्प सेंटर से कराना।	18-11-2020	21-11-2020	18-11-2020	21-11-2020
3.	(अ) महाविद्यालय/पाठ्यक्रम/विषय-समूह का निर्धारित प्रारूप में पृथक-पृथक महाविद्यालय में विकल्प देना।	18-11-2020	23-11-2020	18-11-2020	23-11-2020
	(ब) महाविद्यालय द्वारा सी.एल.सी. चरण की मेरिट सूची प्रतिदिन जारी करना।	18-11-2020	23-11-2020	18-11-2020	23-11-2020
	(स) आवंटित महाविद्यालयों में पोर्टल के माध्यम से डिजिटली ऑनलाइन शुल्क का भुगतान करना।	18-11-2020	23-11-2020	18-11-2020	23-11-2020
	(द) ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया से मुक्त महाविद्यालय/संस्थान द्वारा प्रवेशित विद्यार्थियों की पोर्टल पर ऑनलाइन रिपोर्टिंग करना।	16-11-2020	23-11-2020	16-11-2020	23-11-2020

- ❖ उपरोक्त समय सारणी अनुसार स्कूल शिक्षा विभाग (प्राथमरी/मिडिल स्कूल) में कार्यरत शिक्षक केवल शासकीय महाविद्यालयों में स्नातक/स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु वन-स्टेप-अप योजनातर्गत पंजीयन तथा सत्यापन करारकर विभागीय अनापत्ति प्रमाण-पत्र के साथ प्रवेश प्रक्रिया में सम्मिलित हो सकेंगे।


 (चन्द्रशेखर वालिम्बे)
 अपर आयुक्त
 उच्च शिक्षा मध्यप्रदेश
 निरन्तर.....2.....

//2//

पृ. क्रमांक 981 / 207 / आउशि / शा-5'अ' / 2020
प्रतिलिपि :-

भोपाल, दिनांक 12 / 11 / 2020

1. प्रमुख सचिव, माननीय राज्यपाल, राजभवन, सचिवालय, भोपाल, मध्यप्रदेश।
2. निज सहायक, माननीय मंत्रीजी, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, भोपाल, मध्यप्रदेश।
3. स्टाफ आफीसर, प्रमुख सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, मध्यप्रदेश।
4. निज सहायक, अपर आयुक्त, उच्च शिक्षा, भोपाल, मध्यप्रदेश।
5. अध्यक्ष, निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग, भोपाल, मध्यप्रदेश।
6. कुलसचिव, समस्त परम्परागत विश्वविद्यालय, मध्यप्रदेश।
7. कुलसचिव, समस्त निजी विश्वविद्यालय, मध्यप्रदेश।
8. समस्त क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश।
9. प्राचार्य, समस्त शासकीय / अनुदान प्राप्त अशासकीय / निजी अशासकीय महाविद्यालय, म.प्र.।
10. सी.ई.ओ. एम.पी. ऑनलाइन, द्वितीय तल डी.बी. मॉल, एम.पी. नगर, भोपाल, म.प्र.।
11. विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, आई.टी. शाखा, उच्च शिक्षा संचालनालय, सतपुड़ा भवन
भोपाल की ओर वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
..... की ओर सूचनार्थ एवं कार्यवाही हेतु।


अपर आयुक्त
उच्च शिक्षा मध्यप्रदेश